न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 203/2019

1. जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर–302004, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।

प्रार्थी

बनाम

1. मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री बुद्धाराम शर्मा पताः— 213 बालाजी मन्दिर के पास, भेडोली, पोस्ट कालोता, जिला दौसा–303325
2. सुशीला शर्मा पत्नि श्री मुरारी लाल शर्मा पताः—बीरकारी, गोला का बास, जिला अलवर— 301410 राज.। अन्य पताः— 213, बालाजी मन्दिर के पास, भेडोली, पोस्ट कालोता, जिला दौसा–303325 राज.।
3. जगदीश शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा पताः—213, बालाजी मन्दिर के पास, भेडोली, पोस्ट कालोता, जिला दौसा–303325 राज.।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री कैलाश गुर्जर, अधिवक्ता प्राथी।

आदेश

दिनांकः 31.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री बुद्धाराम शर्मा पताः— 213 बालाजी मन्दिर के पास, भेडोली, पोस्ट कालोता, जिला दौसा व अन्य को 6,50,000/–(रूपये छः लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा बंधक रखी गई अप्रार्थी सुशीला देवी शर्मा पत्नि मुरारी लाल शर्मा निवासी भेडोली के नाम अचल संपति पट्टा सं0 04 दिनांक 05.12.2016 क्षेत्रफल 201.5 वर्गगज एवं पट्टा सं0 26 दिनांक 31.07.2017 क्षेत्रफल 251.33 वर्गगज ग्राम पंचायत कालोता पचायत समिति दौसा जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा